

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2402

सोमवार, 10 अगस्त, 2026 (19 श्रावण 1948 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

रामेश्वरम में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन

2402. श्री तिरुची शिवा:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रामेश्वरम में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड विमानपत्तन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त विमानपत्तन हेतु स्थल का अंतिम रूप निर्धारण कर लिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना पूर्ण होने तथा प्रचालन शुरू होने की अपेक्षित समय-सीमा सहित व्यय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)

(क) से (ग): ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 के अनुसार, यदि राज्य सरकार सहित कोई भी हवाईअड्डा विकासकर्ता, किसी हवाईअड्डे को विकसित करना चाहते हैं, तो उन्हें हवाईअड्डे के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल चिह्नित करना होगा और व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन कराना होगा तथा 'साइट क्लीयरेंस' और तत्पश्चात 'सैद्धांतिक अनुमोदन' के लिए नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

तमिलनाडु राज्य सरकार (जीओटीएन) के अनुरोध पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने रामनाथपुरम, तमिलनाडु में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए दो प्रस्तावित स्थलों का व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन किया और इसकी रिपोर्ट जनवरी, 2026 में तमिलनाडु राज्य सरकार (जीओटीएन) को प्रेषित की।

ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति के अनुसार, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापना, वित्तपोषण, अन्य अनिवार्य मंजूरियाँ आदि प्राप्त करने सहित ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ता या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, की होती है।
